

FORM-I
(for linear project)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Dausa

No. R11GP(39)2018/ 958

Date : 31-1-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environmental and Forests(MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it certified that **0.4896 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORK DEPARTMENT** (name of user agency) for **Construction of the Mehandipur Balaji Bypass Road** (purpose for diversion of forest land) in **DAUSA** district falls within jurisdiction of (1) **Udaipura Village to Mehandipur Balaji Bypass (0.4896 hectares) in Sikrai tehsil.**

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.4896 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) and Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 1 to 7 respectively.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas & Sub Division Level Committee & Collector have given their consent to it. (The Consent of the concerned Gram Sabhas is not required as per MoEF GOL letter No. F. No. 11.09.08-FC(pt.) dated 05.02.2013 & 05.01.2013)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.


District Collector
Dausa

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

क्रमांक / सामान्य / 2018 / 654

दिनांक 21/08/18

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जिला दौसा

विषय : संशोधित एफआरए कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 637-42 दिनांक 20.08.2018 के अनुक्रम में आज दिनांक 21.08.2018 को उदयपुरा से टोडाभीम रोड मिसिंग लिंक सड़क निर्माण के संबंध में बैठक आहूत की गई जिसका बैठक कार्यवाही विवरण एवं उक्त निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत उदयपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


उपखण्ड अधिकारी,
सिकराय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

क्रमांक : सामान्य / 2018 /

दिनांक

एफआरए सर्टिफिकेट बाबत बैठक कार्यवाही विवरण

उपखण्ड स्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक का आज दिनांक 21.08.2018 को उपखण्ड अधिकारी सिकराय की अध्यक्षता में आयोजन किया गया जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति सिकराय।
2. तहसीलदार, तहसील सिकराय
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग सिकराय।
4. सहायक अभियंता, सा.नि.वि. उपखण्ड सिकराय।
5. सहायक अभियंता, पीएचईडी सिकराय
6. सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल सिकराय
7. परियोजना अधिकारी आरएसआरडीसी

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ढायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हेक्टेयर)	ग्राम पंचायत
1	उदयपुरा	663	0.243	उदयपुरा
		603	0.0495	
		602	0.0450	
		601	0.099	
		612	0.0531	
	योग (अ)		04896	

उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उदयपुरा रोड से टोडाभीम रोड तक की मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण में आने वाली वन भूमि में किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासीयों के अधिकारों का उक्त अधिनियम के तहत उल्लंघन नहीं हो रहा है और न ही उनके हित प्रभावित हो रहे हैं के सम्बंध में ग्राम पंचायत उदयपुरा द्वारा दिनांक को ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। (प्रतिलिपी संलग्न है)

बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त उदयपुरा रोड से टोडाभीम रोड तक की मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण हेतु संशोधित एफआरए प्रमाण पत्र वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी करने का अनुमोदन किया गया इसमें दर्ज विवरण के अनुसार उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधान अनुसार वनअधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी की संख्या शून्य है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिकराय

विकास अधिकारी
पं० सो सिकराय

सहायक अभियंता (सा.नि.वि.)
उपखण्ड सिकराय

तहसीलदार
सिकराय

सहायक अभियंता पीएचईडी
उपखण्ड सिकराय

सहायक अभियंता जेवीवीएनएल
उपखण्ड सिकराय

परियोजना अधिकारी
आरएसआरडीसी

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकंदर जिला टीसा

3103
6-2-18

क्रमांक / सामान्य / 2018 / 741

दिनांक 05/09/18

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
जिला टीसा

Rev.
Ans
6/9/18

विषय : संशोधित एफआरए कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक / आर11जीपी(39)2018 / 6331 दिनांक 30.08.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 654 दिनांक 21.08.2018 द्वारा एफआरए सर्टिफिकेट का बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाया जा चुका है। तथा ग्राम पंचायत उदयपुरा थाना सिकंदर का अनापत्ति प्रमाण पत्र सलमन कर श्रीमान को सादर प्रेषित है।

आपका उपरोक्तानुसार (दूर)

Hand
उपखण्ड अधिकारी
सिकंदर

कार्यालय- ग्राम पंचायत, उदयपुरा

पं.स. सिकराय, जिला- दीसा (राज.)

क्रमांक: SPL

दिनांक 10/07/2017

वन अधिकार समिति का गठन करने बाबत :-

सरपंच महोदय के द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया कि ग्राम सभा आयोजन का मुख्य उद्देश्य उदयपुरा रोड से टोडाभीम रोड तक की मिसिंग लिंक सड़क इस ग्राम पंचायत की वन भूमि क्षेत्र से होकर गुजरेगी। इसके अन्तर्गत आने वाली वन भूमि में किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के अधिकारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अतः उक्त अधिनियम के तहत चिन्हित भूमि में अपनी ग्राम पंचायत में तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस सम्बंध में दिनांक 05/06/2018 को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर निम्नानुसार वन अधिकार समिति का गठन किया गया।

व्यक्तियों का नाम	ग्राम पंचायत	पद
① उनेश कुमार वैष्वा	उडपडा	वरिष्ठ
② धनश्याम शर्मा	—	उप-सरपंच
③ आरती वैष्वा	—	वरिष्ठ
④ चोखे सन्तशुभा	—	—
⑤ जीत उदयपुरा	मालपुर	—
⑥ वि. वि. वि. महेश कोर्ला	उडपडा	—

पटवारी
उदयपुरा
जिला दीसा

सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुरा
ग्राम-पंचायत उदयपुरा
जिला दीसा

अ.ज.प. सिंह
सरपंच
ग्राम पंचायत उदयपुरा
ग्राम-पंचायत उदयपुरा
जिला दीसा

कार्यालय- ग्राम पंचायत, उदयपुरा

पं.स. सिकराय, जिला- दौसा (राज.)

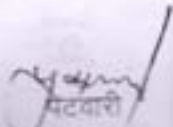
क्रमांक :- 87C

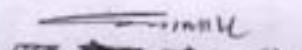
दिनांक 10/11/2017

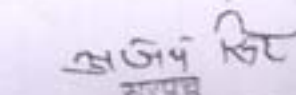
वन अधिकार समिति द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों पर दिनांक को विचार किया गया और पाया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक जीविका आवश्यकताओं के लिये वन भूमि पर निर्भर नहीं है। अतः ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में उसमें अधिनियम के नियमानुसार भूमि पर वन अधिकार दिये जाने का संकल्प पारित किया जाता है।

सरपंच महोदय के द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) का कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक जीविका आवश्यकताओं के लिये वन भूमि पर निर्भर नहीं है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	झायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार	उद्देश्य	ग्राम पंचायत
1	उदयपुरा	663	0.243	वन भूमि	एफ.आर.ए.	उदयपुरा
		603	0.0495	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		602	0.0450	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		601	0.099	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
		602	0.0531	वन भूमि	एफ.आर.ए.	
	योग (अ)		04896			


सरपंच
उदयपुरा
जिला दौसा


ग्राम सिकराय तहसील उदयपुरा
ग्राम पंचायत उदयपुरा
जिला दौसा


सरपंच
ग्राम पंचायत उदयपुरा
ग्राम सिकराय तहसील
जिला दौसा

पुंजों की बेरुके की कायबानी के भावना का प्रतिरूप

पंचायत/न्याय उप समिति	मुख्यालय	पंचायत समिति	सिमा	जिला	डोम	वर्ग

क्र.सं. नं.	बैठक का स्थान	पंच/सचिव का नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	मैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
108	उदयपुर	श्री राजपतिह राजप		आज दिनांक 05/06/2018 को सत्रपंच-नी राजपतिह राजपुरा की बैठकपत्र में राज पंचायत उदयपुर की मिडिया का कारोबार अपने लिए गुरु उदयपुर ग. कोषागार लिखा गया। मिडिया का कोषागार में लिखनी का बाही का बचन लिखा गया जिसका तब लिखनी में बहुरीत लिखा गया। को. मिडिया में प्रचार लिखने को दिनांक 08/06/18 है। प्रचार को, I वह पंच-नी उदयपुर उदयपुर कोषागार के कारोबार कोषागार सत्रप होता लिखने कोषागार के कोषागार के पत्र पर उदयपुर कोषागार और गुरु लिखनी कोषागार कोषागार कोषागार कोषागार के लिखनी कोषागार	

